कानूनी जानकारी

औरत को गोद लेने का अधिकार

रजनी और सतीश की शादी को दस साल हो गए। पर अभी तक उन्हें औलाद का सुख नहीं था। सबने कहा, सतीश को दूसरी शादी करनी चाहिए। पर सतीश ने कहा, "नहीं, मैं बच्चा गोद लूंगा। रजनी उस बच्चे की मां बनेगी।" पर यह होगा कैसे?

— हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत् एक हिन्दू पुरुष गोद ले सकता है।
— पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल हो।
— शादीशुदा होने पर उसकी पत्नी की रज़ामंदी ज़रूरी है।
— यदि पत्नी ने सन्यास लिया है, या वह पागल है तो सहमति ज़रूरी नहीं है।

श्यामा का पति गुज़र गया। घरवाले चाहते हैं कि वह दूसरी शादी करे। पर श्यामा चाहती है वह एक बेटी गोद ले। उसके सहारे जीवन कट जाएगा। क्या श्यामा को इसका हक़ है?

— कोई भी तलाकशुदा, ग़ैर-शादीशुदा या विधवा स्त्री बच्चा गोद ले सकती है।
— स्त्री की उम्र कम से कम अठारह साल हो।
— औरत अगर शादीशुदा है और पति जीवित है तो सिर्फ उसका पति गोद ले सकता है।
— अगर पति पागल है या सन्यास ले चुका है तो औरत बच्चा गोद ले सकती है।

रीता ने शादी नहीं की। उसे बच्चों से बहुत प्यार है। इसलिए वह पास के अनाथालय के बच्चों को पढ़ाती है। एक दिन उसे विचार आया कि क्यों न वह इनमें से एक बच्चा गोद ले ले। पर इनमें से बच्चा गोद लेने की इज़ाजत कौन देगा?

— अकेली औरत (बिना ब्याही) बच्चा गोद ले सकती है।
— नियमानुसार पिता बच्चे को गोद दे सकता है। पर मां की मंजूरी जायज है। पिता न हो तब मां गोद दे सकती है।
— अगर दोनों मां-बाप न हों तो संरक्षक गोद दे सकते हैं।
— अनाथालय में गोद लेने के लिए अर्ज़ी देनी पड़ती है। वहां से कल्याण कार्यकर्त्ता आपके घर आएंगे। आपका घर, परिवार, आमदनी, स्वभाव देख संतुष्ट होने पर आपको बच्चा गोद दिया जाएगा। अनाथालय से गोद लेने के लिए अदालत की इजाज़त ज़रूरी होती है।

रवि के एक बेटा है और एक बेटी। सुशीला चाहती है कि एक बेटा और हो। पर एक दुर्घटना के कारण वह दोबारा मां नहीं बन सकती। क्या रवि और सुशीला एक और बेटा गोद ले सकेंगे?

— एक परिवार एक बेटी और एक बेटा गोद ले सकता है।
— जिसके बेटियां हैं वह बेटा ले सकता है।

जिसके बेटे हैं वह बेटी। पर जिसके बेटा-बेटी दोनों हैं वह गोद नहीं ले सकता।

उमा एक हिन्दू है। उसका पति से तलाक हो गया है। अगर वह गोद लेना चाहे तो कैसा बच्चा गोद ले सकती है?

— बच्चा हिन्दू होना चाहिए।
— उसे किसी ने पहले गोद न लिया हो।
— उसकी उम्र पंद्रह साल से कम हो।
— उसकी शादी न हुई हो।
— अगर पुरुष लड़की गोद ले तो उसकी और बच्ची की उम्र में कम से कम 21 साल का अंतर होगा। अगर औरत बेटा गोद ले तो भी 21 साल का अंतर ज़रूरी है।

नूरा और नफ़ीसा के एक बेटी है। उनके पड़ौस में ही रामचन्द्र जी रहते थे। कार उलट जाने से रामचन्द्र और उनकी पत्नी गुजर गए। बेटा राजू अकेला रह गया। नफ़ीसा राजू को गोद लेना चाहती थी। पर कानून इसकी इज़ाज़त नहीं देता। तो नूरा और नफ़ीसा क्या राजू के लिए कुछ नहीं कर सकते।

— संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के तहत् ईसाई और मुसलमान धर्म वाले लोग, बच्चे के संरक्षक बन सकते हैं।
— वह बच्चा या बच्ची आपका नाम नहीं लेंगे। उनका पुराना नाम ही रहेगा।
— बच्चा 21 साल का होने पर आज़ाद हो जाएगा।
— बच्चा आपकी संतान नहीं माना जाएगा। आप उसके मां-बाप नहीं, सिर्फ पालक होंगे।

गर्भपात कानून

निशा के तीन बच्चे हैं। आठ हफ्ते हुए फिर से गर्भ ठहर गया। वह बच्चा नहीं चाहती। वह जानती है अधिक बच्चे होंगे तो न वह स्वस्थ होगी, न बच्चे। इसलिए उसका पति सोहन और निशा सरकारी अस्पताल गए। वहां डाक्टरनी से सलाह ली।

डाक्टरनी बोली, "निशा, बच्चा गिरा दो। लेकिन कानूनी तौर-तरीके से।"

सोहन और निशा दोनों जानना चाहते थे कि कानून और गर्भपात का क्या रिश्ता?

बहुत-सी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें बच्चा गिराना अपराध नहीं होता। यह बातें गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 नामक कानून में लिखी हैं। गर्भवती बच्चा गिरा सकती है यदि:

— बच्चे से मां की जान को खतरा हो।
— मां के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।
— गर्भ बलात्कार के कारण ठहरा हो।
— बच्चा विकलांग पैदा होने का सबूत हो।
— परिवार नियोजन का साधन असफल रहा हो

किसी भी हालत में बच्चा गर्भ ठहरने के बाद बारह हफ्ते तक ही गिराया जा सकता है। लेकिन डाक्टर की सलाह लेने के बाद। फिर भी बीस सप्ताह से ऊपर समय नहीं बीतना चाहिए। गर्भ गिराने का काम केवल रजिस्ट्रीकृत डाक्टर ही कर सकते हैं। यानि जिसे सरकार की तरफ से इलाज की अनुमति हो। इसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है। दाई, नर्स या घरेलू चिकित्सकों से बच्चा गिरवाना गैर-कानूनी है। □

हमारे कानून ('मार्ग' प्रकाशन) से साभार